jsy vf/kfu;e ds rgr ekg uoEcj&2012 esa dh xbZ dk;Zokgh dk fooj.k %&

/kkjk	iathd`r ekeys	tqekuk :- esa
137	230	74952
138	00	5320834
139	323	00
141	00	142503
142	06	00
143	959	00
144	288	234660
145	27	15870
146	1027	9400
147	02	67200
153	17	00
154	439	78200
155	158	14000
156	00	2300
157	217	00
159	08	10500
160	00	00
161	667	00
162	00	23300
163	07	00
164	00	00
165	00	00
166	22	00
167	01	200
172	00	00
173	13	00
174	00	19500
175	00	00
176	00	00
180—जी	00	00
dqy ;ksx	17542	6013419

j;y lifRr ¼fo-fo-d-½ vf/kfu;e d vrxr ekg uoEcj&2012 e ithd r ekey

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर–2012	29	150823	46	00	00

j;y lifRRk dh pkjh d ekeyk dk ithdj.k fooj.k ekg uoEcj&2012

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर–2012	32	29	238583	150823	46	00	00

cd'knk lifRRk dh pkjh d ekeyk dk ithdj.k fooj.k ekg uoEcj&2012

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर–2012	05	05	168423	114563	14	00	00

j;y lkexh dh pkjh d ekeyk dk ithdj.k fooj.k ekg uoEcj&2012

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर–2012	27	24	70160	36260	32	00	00

j-l-c- }kjk ekg uoEcj&2012 d nkjku
fd;s x;s vPN dk;k dk C;kjk

1) दिनांक 03.11.2012 को उपनिरीक्षक अपराध शाखा जबलपुर श्री के. एस. रावत ने बाहरी व्यक्ति जिसका नाम नरेश पिता धनराज, उम्र 38 साल निवासी केरिन लाइन, माधव नगर, कटनी को आरक्षण कार्यालय कटनी खिड़की क्रमांक 03 से रेल टिकट की दलाली करते हुए पकड़ा, जिसके पास से कुल 03 टिकटें कीमत 2432/– रु. एवं नगद 5120/– रु. नगद तथा एक नोकिया मोबाइल व 04 खाली आरक्षण फार्म मिलें। उक्त व्यक्ति के अपराध स्वीकार करने पर जिसके विरुद्ध रेल सुरक्षा बल कटनी पोस्ट पर अपराध क्रमांक 3115/12 अन्तर्गत धारा 143 कायम कर गिरफ्तारी की गई एवं मामलें को जॉच में लिया गया है।

2) दिनांक 06.11.2012 को गाड़ी संख्या 11464 अप, जो प्लेटफार्म नं. 04 जबलपुर स्टेशन से समय 12.00 बजे गंतव्य की ओर रवाना होते ही अपने परिजनों को छोड़ने आये सराफा निवासी युवक नाम प्रवीण श्रीवास चलती गाड़ी से उतरते समय पैर फिसल जाने के कारण प्लेटफार्म से नीचे जा गिरा, तब तक ट्रेन चल पड़ी । आरपीएफ के ऑन ड्यिूटी स्टाफ आरक्षक राजललन गर्ग व आरक्षक मनीष पाठक द्वारा त्वरित कार्यवाही कर वॉकी–टॉकी से गाड़ी के गार्ड को ट्रेन रोकने के लिए कहा गया, ट्रेन के थमने के बाद उक्त युवक को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया बाद वह युवक घर को रवाना हो गया।

3) दिनांक 06.11.2012 को विशेष टिकट चेकिंग एवं ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों की चेकिंग अभियान के दौरान उपनिरीक्षक/व.मं.सु.आ.रि.कं./जबलपुर श्री निहाल सिंह मय स्टाफ व एसीएम/जबलपुर श्री एस. के.श्रीवास्तव एवं चेकिंग स्टाफ को गाड़ी संख्या 51701 डा. जबलपुर–रीवा शटल के देवरी स्टेशन आगमन पर चेकिंग के दौरान जीएस कोच क्रमांक डब्ल्यूसी–93461 में एक काले रंग का लावारिस बैग मिला, जिसे समक्ष गवाहान खोलकर चेक करने पर 12 नग बॉटल 750 मि.ली. की गोवा कम्पनी की शराब व 48 नग बॉटल 180 मि.ली. की इम्प्ररियल ब्लू कम्पनी की शराब मिली, जिसे उक्त स्टाफ द्वारा रेल सुरक्षा बल थाना जबलपुर लाकर सुपुर्द किया गया। उक्त पकड़ी गई अवैध शराब को विधिसम्मत कार्यवाही हेतु राजकीय रेल पुलिस थाना जबलपुर को सुपुर्द किया गया।

4) दिनांक 07.11.2012 को उपनिरीक्षक/अपराध खुफिया शाखा/रेल सुरक्षा बल/जबलपुर श्री के.एस.रावत मय स्टाफ द्वारा रेलवे स्टेशन मदनमहल प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर एक व्यक्ति नाम अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री राम प्रसाद सोनी, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम बगासपुर, थाना गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को पटाखा अनुमानित कीमत 2,400/–रू. दीपावली त्यौहार हेतु विक्रय के लिये ले जाते समय पकड़कर समक्ष गवाहन पकड़े गये पटाखों को जप्त कर मय आरोपी के सहायक उपनिरीक्षक/रेल सुरक्षा बल/मदनमहल श्री भोला प्रसाद मेहरा को सुपुर्द किया गया। बाद स.उ.नि./रे.सु.ब./मदनमहल द्वारा पकड़े गये व्यक्ति के विरूद्ध रे.सु.ब. चौकी मदनमहल में अपराध क्रमांक 10858/2012 धारा 164 रेल अधिनियम के तहत दिनांक 07.11.2012 को मामला कायम कर दिनांक 08.11.2012 को रेलवे न्यायालय जबलपुर में पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया।

5) दिनांक 08.11.2012 को सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह, सतना मय स्टाफ के साथ सघन चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 51767 के कोच नं. डब्ल्यूसीआर 03403 में सीट के पास रखे दो थैलों को शक होने पर चेक करने के आशय से पूछतांछ करने पर एक यात्री जो सीट के पास ही बैठा था उसने बताया कि उक्त दोनों थैलें उसी के है। थैलें की जांच करने पर उसमें पटाखे मिले जिन्हें मौकें की कार्यवाही पूर्णकर, उक्त व्यक्ति को आरपीएफ थाना सतना लाकर उसके विरुद्व अपराध क्रमांक 15460/2012 अन्तर्गत धारा 164 रेल अधिनियम दिनांक 08. 11.2012 कायम किया गया।

6) दिनांक 09.11.2012 को उपनिरीक्षक/अपराध खुफिया शाखा/रेल सुरक्षा बल/जबलपुर श्री के.एस.रावत मय स्टाफ, विशेष खुफिया शाखा/मुख्यालय व आरक्षक शिवराम शर्मा/रे.सु.ब./मदनमहल द्वारा रेलवे स्टेशन मदनमहल पर गाड़ी संख्या 51672 अप कटनी–इटारसी पैसेंजर के आगमन पर एक व्यक्ति नाम पुरूषोत्तम साहू पुत्र बसोड़ी लाल साहू, उम्र 50 साल, निवासी विवेकानंद वार्ड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, जनरल टिकट नं. ए 63376015 एक्स. मदनमहल से गाडरवारा को विस्फोटक सामग्री (पटाखा) वजन करीबन 30 किलो, अनुमानित कीमत 3,500/–रू. ले जाते हुए पकड़कर उसके विरूद्ध रे.सु.ब. चौकी मदनमहल में अपराध क्रमांक 10887/2012 धारा 164 रेल अधिनियम के तहत दिनांक 09.11.2012 को मामला कायम कर दिनांक 10.11.2012 को रेलवे न्यायालय जबलपुर में पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। मामले में माननीय न्यायाजय द्वारा दिनांक 20.11.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की गई है।

7) दिनांक 11.11.2012 को निरीक्षक डी. एस. सोय को निरीक्षक/रे0सु0ब0/राजेन्द्र नगर श्री अजय सिंह से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की, जिसक नाम खुशबू है, घर से भाग गई है तथा पटना से ट्रेन नं0 3201 मे बैठी है। बाद उक्त लडकी के पिता विजय कुमार यादव द्वारा फोन से लड़की का हुलिया बताकर लडकी को ढूढ़कर उतारने बावत आग्रह किया गया। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ उपनिरीक्षक कटनी अनिल कुमार झा, प्र0आ0 राम भगत तिवारी, महिला आरक्षक शशि रैकवार एवं जीआरपी के प्र0आ0 झारिया के साथ उक्त गाड़ी को कटनी स्टेशन पर आने पर अटैंन्ड कर भागी हुई लडकी कुमारी खुशबू यादव पुत्री श्री विजय कुमार यादव उम्र 19 वर्ष निवासी जवाहर निवास, कृष्णा वेली पोस्ट एमआईटी, बृम्हपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार को ढूढ़कर ससम्मान गाड़ी से उतारकर थाना लाया गया। बाद घटना की जानकारी थाना प्रभारी/जीआरपी थाना कटनी को दी गई तो उनके

द्वारा कहा कि उनके पास महिला स्टाफ नही है अतः उक्त लड़की को अपने थाने पर ही रखा जाए। लड़की मिलने की सूचना लड़की के परिजनों को देने पर उनके पिता श्री विजय कुमार यादव द्वारा उसे रोके रखने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 12.11.2012 को लड़की का भाई अमित कुमार वल्द विजय कुमार के थाना हाजिर होने पर उसकी पुख्ता शिनाख्त के बाद समक्ष जीआरपी के स0उ0नि0 श्री आर. के. कस्तवार एवं दो स्वतंत्र गवाहान लड़की को पाक साफ हालत मे बिना किसी शिकवा–शिकायत के उसके भाई को सुपुर्द किया गया तथा गाडी संख्या 16359 मे बैठा कर पटना के लिए रवाना किया गया।

8) दिनांक 14.11.2012 ट्रेन नं. 18235 भोपाल–बिलासपुर के आरपीएफ स्कार्टिंग स्टाफ प्रधान आरक्षक विष्णु प्रसाद मिश्रा, आरक्षक दिनेश कुमार पाण्ड़ेय, आरक्षक नरेन्द्र सिंह, सभी तैनात सागर आरपीएफ पोस्ट द्वारा दो बाहरी व्यक्तियों को जिनके नाम क्रमशः कन्हैया पुत्र रामलाल अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी घटेरा पुलिस थाना नोहटा जिला दमोह एवं फिरोज खान पुत्र मुन्ना उम्र 34 वर्ष निवासी घटेरा पुलिस थाना नोहटा जिला दमोह को घटेरा स्टेशन होम सिग्नल किमी नं. 1142/0 पर ट्रेन से चेन पुलिंग कर उतरते समय पकड़ा। दोनों व्यक्तियों से पूछतांछ करने पर उन्होनें अपने–अपने पास लिये थैलें के सामान के बारे में देशी शराब होना बताया। उक्त दोनों पकड़े गये व्यक्तियों को पकड़ी गई शराब सहित जीआरपी कटनी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है। जीआरपी कटनी द्वारा पूछतांछ कर दोनों व्यक्तियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपी फिरोज खान के थैले से 180 मिलीग्राम के 43 पाव कीमत 1720/– रु. एवं दूसरे आरोपी कन्हैया से 180 मिलीग्राम के 50 पाव कुल कीमत 2000/– रु. कुल कीमत 3720/– की अवैध देशी शराब जप्त कर उनके विरुद्व अपराध क्रमांक 406/2012 अन्तर्गत 34 आबकारी एक्ट दिनांक 14.11.2012 कायम कर जॉच में लिया गया।

9) दिनॉक 18.11.2012 को निरीक्षक डी.एस. सोय, स.उ.नि. डी.के. कुमावत, प्र.आ. बी.पी. यादव, आर. संजय सिहं बघेल, आर. कुलदीप सिहं यादव, आर. रामसेवक झारिया एवं जीआरपी स्टाफ कटनी संयुक्त गश्त में थे। समय करीबन 14.10 बजे पीएफ नं. 04 में खड़ी गाड़ी संख्या 51767 कटनी–मानिकपुर पैसेंन्जर से एक लड़का कोच के अन्दर से भागा, पीछे से फरियादी कुमारी शालिनी श्रीवास्तव पुत्री अमर कुमार श्रीवास्तव, उम्र 22 साल निवासी गायत्री नगर कटनी थाना कोतवाली जिला कटनी म.प्र. जोर–जोर से चिल्लाई कि मोबाइल छीनकर भाग रहा है। उक्त लड़की की आवाज सुनकर पूर्व में गश्त कर रहे उक्त स्टाफ ने घेराबंदी कर प्लेटफार्म नं. 02 जबलपुर छोर पर मोबाइल छीनकर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ा। दौराने पूछतांछ अपना नाम मनीष कुमार गडारी पिता श्री सुर्री पाल गडारी उम्र 20 साल निवासी मेहेगंवा हुण्डी स्टेशन के पास थाना स्लीमनाबाद जिला कटनी म.प्र. बताया। फरियादी द्वारा अपने मोबाइल की शिनाख्त की गई। आरोपी द्वारा उक्त फरियादी का मोबाइल छीनकर भागना स्वीकार करने पर माल–मुल्जिम को जीआरपी थाना कटनी ले जाया गया। समक्ष गवाहान आरोपी के कब्जे से एक माइक्रोमैक्स कम्पनी का डबल सिम वाला मोबाइल सिम नं. 8982612128 एंव 9098003779 जप्त किया गया। जप्तशुदा सम्पत्ति की कुल कीमत 2000/– रु. आंकी गई। फरियादी द्वारा घटना की लिखित फरियाद देने पर उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 412/12 धारा 392 आईपीसी दिनॉक 18.11.2012 को कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामलें की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक जीआरपी कटनी बी. एन. सिहं द्वारा की जा रही है।

10) दिनांक 18.11.2012 को सहायक उपनिरीक्षक कटनी श्री डी. के. कुमावत द्वारा मय स्टाफ के आरक्षक केन्द्र कटनी में दौराने गश्त एक व्यक्ति नाम शुभम पाण्ड़े पुत्र अश्विनी पाण्ड़े, उम्र 20 साल निवासी शास्त्री कॉलोनी कटनी को शक के आधार पर पकड़ा। जिसके पास से 02 आरक्षित टिकटें पीएनआर–621 4907874 गाड़ी संख्या 18234 एक्स कटनी से इंदौर दिनांक 19.11.2012 किराया 970/– रु. एवं पीएनआर–870 7779564 एक्स कटनी से अहमदाबाद गाड़ी संख्या 1466 किराया 1236/– रु. एवं नगद 760/– रु. प्राप्त हुए। बाद बयान दर्ज करने पर उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्व अपराध क्रमांक 3206/12 अन्तर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट कायम कर जॉच में लिया गया। मामलें में जॉच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक कटनी डी. के. कुमावत है।

11) दिनांक 19.11.2012 को उपनिरीक्षक अपराध शाखा श्री के. एस. रावत एवं एसआईबी जबलपुर स्टाफ के साथ आरक्षण केन्द्र कटनी में समय 16.45 बजे एक व्यक्ति नाम लोकचंद ज्ञानचंदानी पिता सेवकराम उम्र 43 साल निवासी निगम गली नयी बस्ती कटनी को 02 टिकटों पीएनआर–651 4944836 एक्स कटनी मुड़वारा से भोपाल किराया 106/– रु. एवं पीएनआर–660 8821065 एक्स कटनी से इंदौर किराया 852/– रु. तथा एक रिलायंस मोबाइल एवं 175/– रु. नगद के साथ पकड़ा। बाद उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर उसके विरुद्व कटनी पोस्ट पर अपराध क्रमांक 3226/12 अन्तर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट कायम कर जॉच में लिया गया।

12) रेलगाड़ियों में अनाधिकृत रुप से ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वालों के विरुद्व रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मुख्यालय व मंडल स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग एवं जीआरपी द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल स्टेशन पर उक्त अभियान हेतु उप निरीक्षक सरिता बघेल को नामित किया गया था जिनके द्वारा रेल गाड़ियों व रेल परिसरों में आग जनित घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के दौरान दिनॉक 10.11.2012 को भोपाल स्टेशन पर उप निरीक्षक सरिता वघेल हमराह सहायक उप निरीक्षक हरिप्रकाश शर्मा एवं आरक्षक हरवंश सिंह, देवेन्द्र चक्रवर्ती एवं एस.एस.राजपूत द्वारा चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति नाम प्रदीप चौधरी पुत्र केशव राय उम्र 23 साल निवासी घमंडी, पुलिस थाना कारंजा घाडगे जिला

वर्धा (महाराष्ट) को समय करीबन 00.15 बजे भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 02–03 के इटारसी छोर पर उसके पास ज्वलनशील पदार्थ (पटाखे) वजन करीवन 500 ग्राम मिले, जिनकी मुद्रित कीमत करीवन 2870/रुपये के साथ होने के संदेह पर पकड़ा गया। जिसके विरुद्व रेसुब भोपाल द्वारा अपराध कमांक 6133/12 अंतर्गत धारा 164 रेल अधिनियम कायम किया गया।

13) दिनॉक 10.11.2012 को ही प्र.आ. एस.सी.गुप्ता विशेष खुफिया शाखा टीम के द्वारा चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गाडी क. 11016 अप कुशीनगर एक्सप्रेस के कोच नं. एस–3 में विदिशा–भोपाल के मध्य पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेश अग्रवाल पुत्र कैलाश नारायण उम्र 34 निवासी जयश्री गिफ्ट सेन्टर लोहा बाजार विदिशा बताया तदोपरापंत उसके पास रखे थैले को चैक करने पर उसमें 140 पैकेट बारुद की फुलझडी मिली। जिस पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके विरुद्व रेसुब भोपाल द्वारा अपराध कमांक 6152/12 अंतर्गत धारा 164 रेल अधिनियम कायम किया गया। उक्त दोंनों प्रकरणों में 19670/रुपये की कीमत के बारुद से बने फटाके एवं फुलझडी जप्त की गई एवं उक्त दोनो मामलों की जॉच उप निरीक्षक सरिता बघेल द्वारा की जा रही है।

14) दिनांक 02.11.2012 को गुलाबगंज स्टेशन पर अज्ञात अपराधियो द्वारा गाडी नं.एमजीजी स्पेशल से 09 बोरी डीएपी खाद जिसकी कुल कीमत 6457.50 रूपये की चोरी होने पर मामला रेसुब थाना बीना मे स्थानीयकृत मामला दिनांक 03.11.2012 को दर्ज किया गया था तथा पतारसी सुरागरसी के दौरान दिनांक 16.11.12 को एक आरोपी जिसका नाम नथन मोंगिया पुत्र लक्ष्मण सिंह मोंगिया को पकडकर पूछताछ करने पर 09 बोरी डीएपी खाद कुल कीमत 6457.50 रूपये की दिनांक 03.11.12 को अपने दो साथियो के चोरी करना कबूल किया बाद आरोपी के विरूद्व अपराध कमांक 31/12 रेल संपत्ति विधि विरूद्व कब्जा अधिनियम 1966 के अन्तर्गत आउटपेास्ट गंजबासौदा मे मामला कायम किया गया।

15) दिनांक 18.11.2012 को गुलाबगंज स्टेशन पर पुनः अज्ञात ब्यक्तियो द्वारा गाडी नं. एएनजी स्पेशल से चावल के बोरे गिराने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त स्टाफ द्वारा माल की बरामदगी एवं अपराधियो को पकडने के प्रयास किये जा रहे थे तथा उक्त अपराध बावत अपराध कमांक 31/12 मे गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने एवं उसकी निशानदेही पर दो आरोपियो जिनका नाम राजेन्द्र उर्फ राजन पुत्र जालाराम अहिरवार उम्र 21 साल,तथा तोरन सिंह पुत्र माधव सिंह उम्र 30 साल, को पकडा और पूछताछ करने पर उक्त दिनांक को चावल की चोरी करना स्वीकार किया बाद उनकी निशानदेही पर 12 बोरी चावल कुल वजन 6 क्विंटल कीमत 9000 रू बरामद किया तथा बारदात के समय उपयोग की गयी मोटरसायकल को जप्तीपत्र के तहत जप्तकर दोनो आरोपियो के विरूद्व अपराध कमांक 32/12 रेल संपत्ति विधि विरूद्व कब्जा अधिनियम 1966 के अन्तर्गत आउटपेास्ट गंजबासौदा मे मामला कायम किया गया।इस प्रकार उक्त दोनो प्रकरण को निम्नाकित अधिकारियो व स्टाफ जिनके नाम जी.पी.कैथवास उपनिरीक्षक रेसुब अशाखा भोपाल,के.पी.शर्मा सउनि रेसुब बीना हाल गंजबासौदा,सुदामा कुर्मी प्रधान आर.रेसुब गंजबासौदा,देवकुमार धावरी आर.रेसुब गंजबासौदा के द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो को हल कर सराहनीय कार्य किया है।

16) दिनॉक 26.11.2012 को गाडी क. 12156 भोपाल एक्सप्रेस के हबीबगंज स्टेशन आने के उपरांत प्लेटफार्म क. 01 पर एक ट्राली बैग लावारिस हालत में मिला, जिसे सउनि कुँअर सिंह व डियुटी पर तैनात प्रधान आरक्षक विघासागर शर्मा द्वारा उक्त ट्राली बैग के संबंध में पूँछताछ करने पर किसी भी यात्री द्वारा उस पर दावा नहीं किया। वाद जीआरपी चौकी हबीबगंज के प्रधान आरक्षक रमेशचंद्र, आरक्षक भीमसेन तथा प्वाइंटसमेंन विनोद लोवंसी हबीबगंज की उपस्थिति में उक्त ट्राली बैग को खोला गया जिसमें पुराने कपड़े एवं 01 नग सोने जैसी अंगूठी आदि मिली जिसे एलपीओ में जमा कराया गया। वाद दिनॉक 26.11.2012 को ही समय 10.00 बजे एक व्यक्ति श्री सतपाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी डब्लू जेड एच–31 संतनगर न्यू दिल्ली जिनका टिकिट का पीएनआर नं. 2501480884 था थाने पर उपस्थित हुआ और बताया कि वह उक्त गाडी के कोच नं. एस–7 बर्थ नं. 41 से 44 पर निजामुददीन से हबीबगंज के लिये यात्रा कर रहे थे। जल्दवाजी में उनका एक ट्राली बैग हबीबगंज स्टेशन पर छूट गया था। जिसे समक्ष गवाहन आवश्यक कार्यवाही कर उन्हे सुपुर्द किया गया।

17) दिनॉक 26.11.2012 को गाडी क. 12185 रीवांचल एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के कोच में लावारिस हालत में रखे एक सूटकेश व एक बैग सउनि कुवंर सिंह को गाड़ी चैकिंग के दौरान मिले। जिन्हे जीआरपी हबीबगंज के आरक्षक भीम सेन की उपस्थिति में आरपीएफ थाना लाया गया बाद रेलयात्री बी.के.ओमप्रकाश पुत्र श्री भागवत प्रसाद उम्र 42 साल निवासी कृष्णा नगर, सिंधी धर्मशाला के पीछे ब्रह्म कुमारी आश्रम जिला सतना हाजिर हुए। जिन्होने अपने सामान के खोने की सूचना दी। तब सउनि कुँवर सिंह के द्वारा रेल यात्री का कथन लिया गया व गुम हुए सामान का विवरण लिया सही पाए जाने पर उक्त रेल यात्री के टिकिट नं. 59412614 को उसका गुम हुआ एक बैग व सूटकेश आवश्यका कार्यवही कर समक्ष गवाहन उसे सुपुर्द किया गया।

18) दिनांक 11.11.2012 को समय 00.40 बजे किमी नं0 895/3–5 अलनिया व रावठा रोड़ के मध्य डाउन ट्रेक पर एक पार्सल पड़ा होने की सूचना गाडी सं0 19024 जनता एक्स0 के चालक द्वारा कण्ट्रोल कोटा के माध्यम से मिलने पर निरीक्षक कोटा पोस्ट मय स्टाफ घटना स्थल पर पहुॅचकर सर्च किया तो ट्रेक पर कुछ नही मिला। आस–पास का एरिया सर्च करने पर रेलवे ट्रेक से करीबन 50 मीटर की दूरी पर घनी झाड़ियों में दो मोटर साइकिल नं0 त्श्र.20ए`ज.7017 ब्व क्मसनगए त्श्र.20ए`व.8283 चैंपवद भ्मतव भ्वदकं खडी पाई गई। जिनकी निगरानी पर दो रेसुब

स्टाफ गुप्त रूप से तैनात किया गया। सुबह उजाला होने पर पुनः ट्रेक सर्च करने पर किमी नं0 896/21–9 के मध्य एक दागीना रेलवे मार्का नं0 471251 जोधपुर से रायपुर, एक प्लास्टिक बोरा फटी व खाली हालत में रेलवे मार्का नं0 471339 जोधपुर से पूरी एवं एक डिजर्ट कूलर रेलवे मार्का नं0 471230 जोधपुर से खुर्दा रोड़ पाया गया तथा समय लगभग 13.00 बजे दो व्यक्ति नाम क्रमशः 1. ईस्लाम पुत्र जुम्मा खा, उम्र– 40 वर्श, 2. भाहरूख पुत्र सलीम, उम्र– 25 वर्श, निवासी–उद्योग नगर कोटा संदिग्ध हालत में मोटर साइकिल के पास आये, जिन्हें निगरानी कर रहे रेसुब स्टाफ ने घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ पर बताया कि सलीम व सोनू गुर्जर निवासी– कंसूआ कोटा के कहने पर रात्री समय 11.00 बजे वे दोनों मोटर साइकिल से वहा आये थे। रात्री में समय लगभग 12.00 बजे एक ट्रेन जो भवानीमण्डी की तरफ जा रही थी पर सलीम द्वारा टार्च से इशारा करने पर इंजन के पीछे वाले एसएलआर से किसी ने सामान गिराया, जिसे सोनू गुर्जर द्वारा लाये बोरों में भरकर झाडियों में छिपा दिया। उनकी निशानदेही पर 07 बोरों में 283 नग मूर्तिया बरामद की। मौका कार्यवाही उपरान्त सभी सामान मय मोटर साइकिलों के जब्त कर कोटा पोस्ट वापस आये। वर्णित घटना के संबंध में उक्त आरोपियों के विरूद्ध कोटा पोस्ट अपराध क्रमॉक–32/2012 धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट दिनांक 11.11.2012 पंजीकृत कर विवेचना में लिया। चोरी में भाामिल दो अन्य फरार आरोपियों साबिर पुत्र अब्दुल मजीद को दिनांक 18.11.12 को एंव दिनांक 23.11.2012 को आमीन पुत्र मोहम्ददीन को गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 फरार आरोपी सलीम व सोनू की गिरफतारी के प्रयास जारी है।